

फर्द अहकॉम


(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा

झमकू बनाम गवरी वगैरा

किस्म मुकदमा-राजस्व वाद

मुकदमा नम्बर-160/2025

तारीख हुक्म	हुक्म कार्रवाई मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.10.2025	वादीनी के अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्णोई ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहपठित धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिए सम्मन/नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 24.12.2025 को पेश हो।	
01/12/25	<p>पत्रावली पेठा हुई। वादीनी वकील एवं वादीनी स्वयं उपरोक्त वादीनी वकील ने आर्चना पत्र वाले पत्रावली पेठा पर लेने बाबल पेठा ठर निवेदन किया कि पत्रावली आज पेठा जारी पर ली जावे। वकील वादीनी के आर्चना पत्र पर पत्रावली आज पेठा जारी पर ली गई। वादीनी वकील ने आर्चना पत्र वाले वाद विज्ञे करने बाबल पेठा ठर निवेदन किया कि उक्त अनवान ठे उकरण में हमारे गांव के मोजीप लोगो ने आपसी समझावस ठरके राजीनामा कुरवा दिया है इसलिए हम उक्त उकरण को आगे नही चलाना चाहते है इसलिए उक्त वाद को जरिये राजीनामा विज्ञे फरमाया जावे।</p> <p>वादीनी वकील द्वारा उल्लुल आर्चना पत्र ठो न्यायस्थल में स्वीकार किया जाकर उक्त अनवान के वाद को जरिये राजीनामा विज्ञे किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल कुमार होउर वाकिल दफ्तर हो। सेय्या से ठम हो।</p>	 <p>डॉ. कि. आनंद (वादीनी)</p> <p>श्री (वकील वादीनी)</p> 